

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म को तामील  
 में जागी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासपत्रक जत्र

तारीख  
 हुक्म

27.05.22 पत्रावली पेश हुई। शर्ची अभिभाषक  
 उपस्थित। पेंरोकार सरकार उपस्थित।  
 आदेश दिनांक 20.04.22 की अनुपालना  
 में तहती जाती की गई। पत्रावली वाले  
 इंतजार रिपोर्ट दिनांक 11.07.22 को पेश  
 हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

11/07/22 पत्रावली पेश हुई। उमय जस क वकील  
 उपस्थित। आज समय चला गया। मिसल  
 आइन्दा तारीख 03.08.22 को वास्ते  
 पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

03/08/22 वकील बार द्वारा काय स्थगन  
 हदतक क कारण आज तारीख चहते  
 है। मिसल दिनांक 31/08/22  
 को वास्ते पूर्व आदेश पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

31/08/22 पत्रावली पेश हुई। उमय जस क वकील  
 उपस्थित। आज समय चला गया। मिसल  
 आइन्दा तारीख 28/09/22 को वास्ते  
 पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

07/09/22 पत्रावली आज नियत दिनांक से पूर्व पेश हुई। शर्ची  
 अभिभाषक उपस्थित। पेंरोकार सरकार उप। शर्ची अभि.  
 ने शर्चना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा  
 1इ। पेश किया जिसे शामिल पत्रावली करते हुए शर्ची  
 को शर्चना-पत्र पर चुना गया। शर्ची ने शर्चना-पत्र  
 में बर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि  
 शर्चना-पत्र को टेंकन करवाने समय कुछ तन्नतीकी धनु  
 विधिसु टुटियां रह गयी उस कारण वर्तमान शर्चना-पत्र को  
 उस स्तर पर विद्वी कर नवीन शर्चना-पत्र प्रस्तुत  
 चहते है। शर्ची अभिभाषक के निवेदन को  
 के आधार पर स्वीकार दिया जाता है।

— लगातार —

Identified  
 Sonu V  
 7.9.22

तारीख  
क्रमांक

दुबय का कार्यालयी बंद दिनांक

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दुबय की तामील  
में जारी हुए

जार्नी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128  
131 सपठित धारा 136 राजस्थान-भू-राजस्व अधि  
1956 का विद्रो किया जाता है तथा पञ्जावली  
की कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती है।  
पञ्जावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/11 को मेरे  
द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

~~A~~ 07.09.11  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)